



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112022-240202
CG-DL-E-11112022-240202

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5024]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 2022/कार्तिक 20, 1944

No. 5024]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2022/KARTIKA 20, 1944

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 09 नवम्बर, 2022

का.आ. 5243(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का. आ. 4520(अ), तारीख 29 अक्टूबर, 2021 द्वारा जारी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 29 अक्टूबर, 2021 में प्रकाशित उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों, अर्थात्, "द टाइम्स ऑफ इण्डिया", तारीख 25 नवम्बर, 2021 और "लोकमत", तारीख 25 नवम्बर, 2021 में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ था;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को सौंप दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि का, संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम: पालघर

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण / गट संख्या	नगर सर्वेक्षण संख्या	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार	क्षेत्रफल हेक्टर में	भू-स्वामी / हितबद्ध व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	पालघर	पालघर	पालघर	77 / 5	882	कृषि / गैर कृषि	निजी	0.0145	शांतीलाल भवरलाल जैन व इतर
				77 / 6	883	गैर कृषि	निजी	0.0157	शिवगोविंद रामचरण शुक्ल / अनुसया श्रीकांत संखे ज्ञानेश्वर राजाराम पिंपळे तेजस रमाकांत पाटील दिपा चंदू संखे रमाकांत राजाराम पिंपळे राहुल रमाकांत पाटील सुरेखा दशरथ पिंपळे पुनम घनश्याम संखे मनिशा योगेश पिंपळे दिनेश दशरथ पिंपळे अशोक गजानन पिंपळे गणेश गजानन पिंपळे सुधा पंढरीनाथ संखे रोहिणी रमणिक संखे पल्लवी प्रविण पाटील रेखा हरिशचंद्र संखे
				79 / 2	883	कृषि / गैर कृषि	निजी	0.0157	शिवगोविंद रामचरण शुक्ल / वत्सला विलास पाटील व इतर
				156 / 2	883	कृषि / गैर कृषि	निजी	0.0182	शिवगोविंद रामचरण शुक्ल / जयंतीलाल विठ्ठलभाई शापरिया व इतर
				79 / अ / 1	883	गैर कृषि	निजी	0.0048	शिवगोविंद रामचरण शुक्ल / अपर्णा अनिल सुर्वे
				79 / 1	883	कृषि / गैर कृषि	निजी	0.0063	शिवगोविंद रामचरण शुक्ल / पुष्पा रामहरक दिक्षित व इतर
				79	892	कृषि / गैर कृषि	निजी	0.0076	वत्सला विलास पाटील व इतर
				79 / ब / 1	892	कृषि / गैर कृषि	निजी	0.0244	एस.एफ.एजन्सी व इतर
				124 / 1	1902	कृषि / गैर कृषि	निजी	0.0337	भिमराव रामा चव्हाण प्रोपायटर नियोजित पोलिस हौसिंग सोसयटी अ व इतर

[फा. सं. 2022 / एलएमएल-II / 12 / 1 / डब्ल्यू सी / 2356]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं)

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2022

S.O. 5243(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 4520(E), dated the 29th October, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 29th October, 2021 and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Palghar in the State of Maharashtra;

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers namely, “The Times of India”, dated the 25th November, 2021 and “Lokmat”, dated the 25th November, 2021 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objection has been received by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Palghar in the State of Maharashtra.

Name of the District: Palghar

Serial Number	Name of District	Name of Taluka	Name of Village	Survey / Gut Number	Citi Survey Number	Nature of land	Type of land	Area in hectares	Name of the land Owners / Interested persons
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Palghar	Palghar	Palghar	77/5	882	Agriculture/ Non-Agriculture	Private	0.0145	Shantilal Bhawarlal Jain and Others.
				77/6	883	Non-Agriculture	Private	0.0157	Shivgovind Ramcharan Shukla/ Anusaya Shrikant Sankhe Dnyaneshwar Rajaram Pimple Tejas Ramakant Patil Deepa Chandu Sankhe Ramakant Rajaram Pimple Rahul Ramakant Patil Surekha Dashrath Pimple Poonam Ghanshyam Sankhe Manisha Yogesh Pimple Dinesh Dashrath Pimple Ashok Gajanan Pimple Ganesh Gajanan Pimple

									Sudha Pandharinath Sankhe Rohini Ramnik Sankhe Pallavi Pravin Patil Rekha Harishchandra Sankhe.
				79/2	883	Agriculture/ Non- Agriculture	Private	0.0157	Shivgovind Ramcharan Shukla/Vatsala Vilas Patil and Others.
				156/2	883	Agriculture/ Non- Agriculture	Private	0.0182	Shivgovind Ramcharan Shukla/Jayanti Lal Vithalbhai Shapariya and Others.
				79/a/1	883	Non- Agriculture	Private	0.0048	Shivgovind Ramcharan Shukla/Aparna Anil Surve.
				79/1	883	Agriculture/ Non- Agriculture	Private	0.0063	Shivgovind Ramcharan Shukla/Pushpa Ramharak Dixit and Others.
				79	892	Agriculture/ Non- Agriculture	Private	0.0076	Vatsala Vilas Patil and Others.
				79/ b /1	892	Agriculture/ Non- Agriculture	Private	0.0244	S.F.Agency and Others.
				124/1	1902	Agriculture/ Non- Agriculture	Private	0.0337	Bhimrao Rama Chavan Proprietor Niyojit Police Housing Society A and Others.

[File No.2022/LML-II/12/1/WC/2356]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (Land and Amenities)